न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 241–दो/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–12–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 126/2007–2008/निगरानी.

———

1– मनीराम
2– बाबूराम पुत्रगण शम्भूदयाल
3– तोताराम दत्तक पुत्र रामदयाल
निवासी ग्राम बिरखड़ी तहसील रौन
जिला भिण्ड म.प्र. हाल मढ़ी जैतपुरा
तह. रौन जिला भिण्ड ——— आवेदकगण

विरूद्ध

देवलाल पुत्र श्री नंदराम बघेल
निवासी ग्राम गौरई तहसील रौन
जिला भिण्ड म.प्र.

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. अवस्थी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 02–06–2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 126/2007–2008/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–12–09 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि एस.डी.ओ. लहार

ने अपने प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 21–12–87 में मृतक मथुराप्रसाद भूमिस्वामी के जन्मांध होने के संबंध में विचारण न्यायालय को स्पष्ट रूप से साक्ष्य लेकर निराकरण करने का आदेश पारित किया था, किंतु किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा इस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया गया कि जन्मांध व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति की श्रेणी में आता है और ऐसे असमर्थ व्यक्ति का कोई भी काश्तकार न तो भूमिस्वामी और ना ही शिकमी ही कानूनन बनाया जा सकता है । आवेदक के पूर्वज मथुरा प्रसाद किसी भी अवधि तक किसी को अपनी भूमि पट्टे पर जुता सकता था ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 168(2) के तहत यदि अनावेदक का पिता नंदराम अभिलिखित शिकमी भी हो तो वह कानूनन भूमिस्वामी नहीं बन सकता । इस वैधानिक तथ्य पर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया है । इस संबंध में उनके द्वारा 1983 आर.एन. 1 का न्यायदृष्टांत उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि कानून का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि मौरूसी/शिकमी/उपकृषक का अनुबंध का विषय होता है जो दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य द्वारा स्थापित करना चाहिए इस संबंध में परिप्रेक्ष्य में अनावेदक के पिता ने यह स्थापित नहीं किया कि उसने भूमि कब व किससे कितने रूपये लगान पर जोती । उसके द्वारा उपकृषकत्व का अनुबंध स्थापित नहीं किया फिर भी यदि अनावेदक के पिता का नाम शिकमी या उपकृषकत्व की हैसियत से मथुराप्रसाद जन्मांध व असमर्थ व्यक्ति की भूमिस्वामी की भूमि पर दर्ज हो तो भी असमर्थ व्यक्ति की भूमि पर अनावेदक को भूमिस्वामी नहीं बनाया जा सकता । इस कानूनी मुद्द पर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने विचार नहीं किया है । इस संबंध में उनके द्वारा 1983 आर.एन. 248 (उच्च न्यायालय) के न्यायदृष्टांत का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को जन्मांध भूमिस्वामी की स्थिति की जांच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि मृथक भूमिस्वामी मथुराप्रसाद ने प्रश्नाधीन भूमि मौरूषी कृषक (उप कृषक) पर मौखिक मुहायदा से जुताई थी और इसी आधार पर अनावेदक के

पिता नंदराम ने भूमिस्वामी घोषित किए जाने हेतु आवेदन दिया जिसे साक्ष्य से प्रमाणित पाए जाने के आधार पर विचारण न्यायालय ने उन्हें भूमिस्वामी घोषित कर विधिवत नामांतरण करने का आदेश दिया ।

यह तर्क दिया गया कि तहसील न्यायालय में आवेदकों द्वारा जबाव पेश किया तथा नंदराम को मौरूसी काश्तहार होने से इंकार किया । तहसील में आवेदकों ने आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर मथुराम प्रसाद के जन्म से अंधे होने की बात कही गई जिस पर अनावेदक ने आपत्ति करते हुए कहा गया कि आवेदकों ने प्रकरण चलने के 6 वर्ष पश्चात सोच विचार कर प्रकरण में अपनी असफलता को देखते हुए मथुराप्रसाद के जन्म से अंधे होने की बात कही गई है । आवेदकों का उक्त आवेदन तहसीलदार द्वारा 28–7–79 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध आवेदकों ने कोई कार्यवाही नहीं की । अतः आवेदकों को मथुराप्रसाद के जन्म से अंधे होने की आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं है । उन्होंने जो साक्षी पेश किए वे ग्राम ररूआ के न होकर 25 किलोमीटर दूर ग्राम के हैं ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदकों के बड़े भाई श्यामलाल जो तहसील में कार्यवाही के समय जीवित थे उन्होंने अपने कथनों में यह कहा है कि नंदन भूमि पर जबरदस्ती खेती कर रहे हैं तथा यह भी कहा है कि मथुराप्रसाद खेती करते थे और खुद खेती करते थे और कराते थे । उनके उक्त तथ्य परस्पर विरोधाभाषी हैं ।

यह तर्क दिया गया कि एस.डी.ओ. लहार ने अपने आदेश दिनांक 21.12.87 में प्रकरण के प्रत्यावर्तन का एक आधार लगान की रसीदों के बारे में दिया है । उपकृषक को प्रमाणित करने के लिए वैसे तो लगान की रसीदें पेश की गई हैं किंतु उनको भी प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 1969 आर.एन. 536का हवाला दिया गया है । 1988 आर. एन. 171 के अनुसार मौरूषी कृषक का सबूत केवल खसरा प्रविष्टि से साबित किया जा सकता है लगान की रसीदें पेश करना आवश्यक नही है । आवेदक ने अपने प्रकरण को साक्ष्य से सिद्ध किया है अतः प्रकरण को रिमाण्ड करने का

कोई मुद्दा नहीं था । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश गलत है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण विवादित भूमि पर अपना कब्जा होना प्रमाणित नहीं कर सके और ना ही अनावेदक के विवादित भूमि पर उपकृषक की हैसियत से काबिज काश्त होना एवं उसके मौरूसी कृषक होने की खसरे में दर्ज प्रविष्टि का खंडन कर सके हैं इसलिए अनावेदक के पिता को विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है । उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि के संबंध में उपकृषक के रूप में जो प्रविष्टि है उससे संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों की विवेचना करने के उपरांत यह पाया है कि विचारण न्यायालय का जो आदेश है वह अपने स्थान पर सही है । प्रकरण दो बार प्रत्यावर्तित हुआ है किंतु प्रत्यावर्तन किए जाने का कोई आधार नहीं था । अपर आयुक्त ने मृतक भूमिस्वामी के जन्मांध होने के संबंध में भी अपने आदेश में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे अभिलेख पर आधारित हैं । प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर